ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 239-242

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-14, No.-III, Issues-21, YEAR- Sept.-2021

फिरोजाबाद जनपद कें ग्रामीण शिक्षित एवं अशिक्षित अभिभावकों में बालिका शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना

लोकेश यादव
E-mail: lokeshskb@rediffmail.com

Received- 27.07.2021, Revised- 30.07.2021, Accepted - 04.08.2021

सारांश : *ज्ञान की तुलना सूर्य से की गयी है। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश के बिना सम्पूर्ण संसार अंधकारमय है। ठीक उसी प्रकार ज्ञान की ज्योति के बिना मनुष्य का जीवन अन्धकारमय है। यह विडम्बना ही कही जायेगी कि मानव के लिये शिक्षा ही बुनियादी तौर पर आवश्यक होने पर भी दुनिया के आधे से अधिक लोग इससे वंचित हैं इसमें नारी शिक्षा का प्रतिशत बहुत ही कम है। नारी शिक्षा का व्यक्ति समाज और राज्य की शिक्षा में कितना अधिक महत्व है।*

भारत जैसे विकासशील देश में शिक्षा का प्रतिशत कम है। जहॉ नारी शिक्षा की बात है, वह और भी भिन्न है। प्राचीन काल में भारत में स्त्रियॉ पुरूशों के समान शिक्षित थीं। वे भी पुरूशों के समाज ही गुरूकुलों में जाकर शिक्षा प्राप्त करती थीं। विदेशियों के आकमण के पश्चात स्त्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाने लगा। धीरे धीरे स्त्रियों का दायरा घर की चहार दीवारी में सिमट कर रह गया। समाज में पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रभा आदि कुरीतियों का जन्म हुआ इन प्रथाओं के कारण ही समाज में पुरूषों स्त्रियों की शिक्षा का निरन्तर ह्रास होता गया। अंग्रेजी शासन काल में भी स्त्रियों की शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि अंग्रेजो को अपना प्रशासन चलाने के लिये शिक्षित स्त्रियों की आवश्यकता नहीं थी। पुरूषों की शिक्षा पर इसलिए अधिक ध्यान दिया गया क्योंकि उन्हें ऐसे वर्ग की आवश्यकता थी जो उनके व भारतीय के मध्य कड़ी का कार्य कर सकें।

कुंजीभूत शब्द– अंधकारमय, विडम्बना, बुनियादी तौर, अंग्रेजी शासन।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारी सरकार ने बालिका की शिक्षा पर समान रूप से ध्यान दिया। 6–14 वर्ष तक की बालिकाओं की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गयी। विशेष रूप से बालिकाओं की शिक्षा के विकास के लिये अनेकों योजनायें चलायी गयीं। परन्तु स्वतंत्रता के 76 वर्षों के बाद भी बालिकाओं की शिक्षा का प्रतिशत अनुकूल नहीं हो पाया, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहॉ की अधिकांश जनसंख्या गॉवों में निवास करती है। यहॉ शिक्षित अभिभावकों का प्रतिशत बहुत ही कम है। अतः वे शिक्षा के महत्व को नहीं समझते। इसीलिए उनको शिक्षा ग्रहण करने हेतु विद्यालय नहीं भेजते। विशेषकर उनकी मानसिकता लड़कियों को शिक्षित करने के पक्ष में नहीं होती। आज भी गॉवों में धार्मिक एवं सामाजिक कुरीतियों की शिक्षा पर धन खर्च करने की अपेक्षा लड़कों की शिक्षा पर धन खर्च करना बेहतर समझते है। परिवार में अधिक बच्चे होने के कारण बालिकायें छोटे बच्चों की देखभाल करती, और मॉ खेतों में काम काती हैं। इस प्रकार यह मॉ के काम में हाथ बंटाती हैं। मॉ–बाप भी समझते हैं कि जो धन वे लड़कियों की शिक्षा में खर्च करेंगे उसी धन को वे लड़की की शादी में दहेज के रूप में दे देंगे।

जब शिशु जन्म लेता है, तो वह पशुवत व असहाय होता है शिक्षा ही बालक के पशुवत तथा अमानुश व्यवहार में परिवर्तन लाकर बुद्धिजीवी तथा मानवीय प्रवृत्तियों का विकास करती है। जिस प्रकार अंधेरे कमरे में दीपक जलाने से पूरा कमरा प्रकाशमय हो जाता है, ठीक उसी तरह मानव के जीवन में शिक्षा की ज्योति से वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रगति के रथ पर सवार होकर पूर्णता एवं आत्मसंन्तुष्टि की प्राप्ति करता है। शिक्षा मनुष्य के वर्तमान एवं भविष्य को सजाती एवं संवारती है। किसी भी देश के बच्चे देश के भावी कर्णदार होते हैं देश की भावी प्रगति उन्हीं के कन्धों पर है तथा स्त्रियॉ भावी कर्णधारों की जननी हैं, क्यांकि स्त्रियॉ देश को स्वस्थ, सभ्य एवं सुसंस्कृत सनतान को भेंट करती हैं। जिस प्रकार किसी वृक्ष को उसके समुचित विकास के लिए उपयुक्त खाद, पानी, प्रकाश दिये बिना उससे बढ़िया फल प्राप्त करने की आशा करना व्यर्थ है, ठीक उसी प्रकार स्त्रियों को उचित षिक्षा दीक्षा दिये बिना देश के भावी कर्णधारों के विकास की आशा करना व्यर्थ है।

नेपोलियन ने एक बार कहा था कि – ''मुझे शिक्षित माताऍ दो मैं एक समुन्नत राष्ट्र का निर्माण कर दूॅगा।''

किसी पुरूष को शिक्षा देना केवल एक पुरूष को शिक्षित करना है जबकि किसी एक स्त्री को शिक्षा देना पूरे परिवार को शिक्षित करने के समान है। शिक्षा वह साधन है जिसके द्वारा संस्कृति को जीवित रखा जाता है तथा उसका प्रचार प्रसार किया जाता है। वेदों एवं अन्य साहित्यों के सर्वेक्षण से पता चलता है कि नारी का समाज में महत्वपूर्ण स्थान है। सभ्यता एवं संस्कृति जिस पर पुरूष वर्ग गर्व करता है उसकी दिशा नारी ने ही दी है। स्त्रियॉ परिवार की मेरूदण्ड हैं। विकासशील देशों में स्त्रियॉ पुरूषों के साथ सामाजिक एवं आर्थिक उत्तरदायित्वों का वहन कर रही हैं। उनकी शिक्षा की अवहेलना नहीं की जा सकती है, शिक्षित स्त्रियॉ न केवल परिवार का उन्नतशील बनाती हैं, समाज को भी सुसंस्कृत एवं उन्नतिशील

असिस्टेण्ट प्रोफेसर, एम0एड0 विभाग, ए0के0कालेज, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, (उ0प्र0) भारत

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-14, No.-III, Issues-21, YEAR- Sept.-2021

बनाने में सक्रिय सहयोग करती है। अतः स्त्री शिक्षा की अवहेलना करना समाज की भावी पीढ़ी के साथ अन्याय करना होगा। हमारे देश में बालकों की शिक्षा की तुलना में बालिका शिक्षा पर कम ध्यान दिया गया है। बालिका शिक्षा के प्रति यह अभिवृत्ति प्राचीन काल से ही चली आ रही है, कि स्त्रियों के कार्य क्षेत्र घर तक ही सीमित है। अतः उसके लिए शिक्षा की कोई आवश्कयता नहीं है। आज 21वीं शताब्दी में हम प्रवेश कर चुके हैं, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलायें पुरूषों से होड ले रही है इसके बाबजूद कुछ अभिभावक बालिका शिक्षा पर होने वाले खर्च को व्यर्थ समझते हैं।

स्वतंत्रता के बाद बालिका शिक्षा के विकास करने के तमाम प्रयासों के बाबजूद भी उनकी स्थिति में संतोषजनक सुधार नहीं हुआ है। देश में पुरूष तथा स्त्री साक्षरता में साफ खाई दिखाई देती है जहॉ पुरूष साक्षरता दर 75.3 प्रतिशत है वहीं महिला साक्षरता 53.7 प्रतिशत है।

मनु ने कहा – "यत्र नार्यान्तु पूज्यते रमत्रे तत्र देवता"

अर्थात मनु का कहना है कि जहॉ नारी की पूजा होती है, वहा देवताओं का निवास होता है। इस प्रकार भारतीय परम्परा में स्त्री को सदैव सम्मानजनक स्थान दिया जाता था। इसी प्रकार जवाहर लाल नेहरू ने बालिका की शिक्षा के लिए समाज को सम्बोधित करते हुए कहा था – "एक बालक को शिक्षित करने का अर्थ है एक व्यक्ति को शिक्षित करना जबकि एक बालिका को शिक्षित करने का अर्थ है समाज को शिक्षित करना।"

हमारे देश में एक वर्ग लड़की की शिक्षा का विरोध है वहीं शहरों में तथा कुछ लोगों का विचार है कि यदि बेटा इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बन सकता है तो बेटी क्यों नहीं? इस विचारधारा के परिणामस्वरूप आज हमारे देश में लड़कियों ने सभी क्षेत्रों में प्रगति की है, आज हमारे ही भारत वर्ष की बेटी कल्पना चावला 19 नवम्बर 1997 को जब अन्तरिक्ष में गई तो भारतीय ही नहीं विश्व में नारी जाति का गौरव बढ़ा है। ऐसी ही भारती साहा, बछेन्द्रीपाल, श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल, किरण बेदी, सुनीता विलियम्स, ऐनीबेसेन्ट, सरोजनी नायडू, मदर टेरेसा की कीर्तिमान से कौन अंजान है।

भारत की प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति के पद पर श्रीमती प्रतिभा पालिट आसीन थी सोनिया गॉधी की गिनती विश्व की पावरपुल महिलाओं में होती है। उत्तर प्रदेश में मायावती की उपस्थिति बड़े–बडे राजनीतिक दलों के समीकरणों को प्रभावित करने की क्षमता रखी हैं। पहली बार लोकसभा स्पीकर पद पर आसीन मीरा कुमार संसद की गरिमा को संभालने के लिए विफराते सांसदों को चुप करने की क्षमता रखती हैं। ऐसे में महिलायें के कार्यकुशलता पर प्रश्न उठाना किसी नजर से सही प्रतीत नहीं लगता है। नारी के विकास यात्रा की बाधक ज्वलंत समस्याओं का निराकरण भी नारी को करना होगी।

वैदिक काल में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था परिवारों में होती थी। घर की शिक्षा घर के श्रेष्ठ व्यक्ति द्वारा दी जाती थी। धनी लोग अपने घर पर ही पढ़ाने के लिए अध्यापिकाएं रख लेते थे। उच्च शिक्षा गुरू आश्रमों में होती थी, उस समय गुरू आश्रम वस्तियों से दूर प्रकृति की गोद में होते थे। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि प्राथमिक शिक्षा केवल शिक्षित परिवारों में ही बालिकाओं को मिल जाती थी तथा उच्च शिक्षा के लिए गुरू आश्रमों में नहीं जा पाती थी। अतः बालिका को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार तो था, परन्तु शिक्षा देने की समुचित व्यवस्थ नहीं थी। फिर भी वैदिक साहित्य में गार्गी, घोषा, शकुन्ताला, विश्वतारा, मैत्रेयी, अपाला, लोपमुद्रा आदि विदुशी महिलाओं का विवरण मिलता है।

बौद्ध धर्म के प्रारम्भिक काल से स्त्री शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी महिलाओं को संघ में प्रवेश की स्वतंत्रता नहीं थी, परन्तु कुछ समय बाद महिलाओं का संघ में प्रवेश प्रारम्भ हो गया। इस प्रकार बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा का क्षेत्र सीमित था केवल सम्पन्न परिवारों की ही बालिकाओं के लिए स्त्री शिक्षा की व्यवस्था हो पाती थी।

इसके बाद बौद्ध काल में लगभग 200 ई0पू0 में स्त्री शिक्षा की गति स्थिर सी रही, तदुपरान्त महात्मा बुद्ध के कारण इस युग में स्त्री शिक्षा को नवजीवन प्राप्त हुआ। उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनन्द की प्रार्थना पर, स्त्रियों संघ में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी थी। इसके फलस्वरूप इस काल में स्त्री शिक्षा का पर्याप्त विकास हुआ। बौद्धकाल की सुशिक्षिज्ञत स्त्रियों में कुछ इस प्रकार है – बौद्ध काल की प्रसिद्ध प्रचारिकाऍ शुभा, अनुपमा, सुयेधा। कवियत्री के रूप में कालिदास के बाद मानी जाने वाली विजयंका और अशोक सम्राट की पुत्री संघमित्रा आदि थीं। ये सभी नारी इस बाल का संकेत देते हैं कि स्त्रियों ने संघ में प्रवेश करके उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त की थी।

मुस्लिम काल में पर्दा प्रथम स्त्री शिक्षा में अवरोधक थी। छोटी आयु की बालिकाऍ ही मकतबों में जोकर बालकों के साथ विद्या का अर्जन करती थीं। इनको उच्च शिक्षा की सुविधाऍ उपलब्ध नहीं थी क्यांकि राज्य या समाज की ओर से उनके लिए कोई पृथक शिक्षा संस्थाओं की व्यवस्था नहीं थी। फलस्वरूप निम्न और निर्धन वर्ग की बालिकाऍ ज्ञान प्राप्ति के लाभ से वंचित रह जाती थीं या फिर उनका ज्ञान अत्यन्त अल्प पढ़ने और लिखने तक ही सीमित रह जाता था। कुलीन परिवारों की बालिकाओं के लिए घर पर ही शिक्षा की व्यवस्था व्यक्तिगत रूप से ही जाती थी। सहशिक्षा का प्रचलन कम था। इस काल में अन्य कालों की अपेक्षा स्त्री शिक्षा का स्तर काफी गिरा था, फिर भी कुछ मुस्लिम राजकुमारियों के नाम प्रसिद्ध हैं। अल्तमश की पुत्री सुल्ताना, दक्षिण की वीरांगना चॉद सुल्ताना, बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम, जहॉगीर की पत्नी नूरजहॉ, चॉदबीबी, अहिल्याबाई, रानीदुर्गावती तथा रूपमती आदि विदुशी महिलाऍ थीं। 1913 में ब्रिटिश पार्लियामेन्ट ने कम्पनी को

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-14, No.-III, Issues-21, YEAR- Sept.-2021

जो आज्ञा पत्र जारी किया उसमें कम्पनी को शिक्षा पर प्रतिवर्ष एक लाख रूपये व्यय करने का निर्देश दिया। भारत में बालिका शिक्षा के लिए अलग से सबसे पहले स्कूल 1818 में ईसाई मिशनरी चिनसुरा में खोला था। कम्पनी शासन के दौरान बालिका शिक्षा का प्रसार सामाजिक संगठनों, मिशनरियों के व्यक्तिगत प्रयासों से प्रारम्भ हुआ। 1820 में डेविड हेमर ने कलकत्ता में बालिका विद्यालय की स्थापना की। 1882 में इण्टर कमीशन ने स्त्री शिक्षा की आवश्यकता एवं प्रसार पर बहुत बल दिया। 1882 तक देश में कुल 2700 लगभग बालिका विद्यालय की स्थापना की गई। 1916 में दिल्ली में 'लेडी होर्डिंग मेडिकल कॉलेज' की स्थापना की गयी। वह भारत का प्रथम मेडिकल कॉलेज था। 1916 ई0 में ही महर्षि डी0के0 कार्वे ने पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। 1921 तक भारत मे बालिका शिक्षण संस्थान लगभग 22650 खोले जा चुके थे। जिसमें प्राथमिक, माध्यमिक, महाविद्यालय तथा व्यावसायिक कॉलेज सभी शामिल थे।

सन 1927 में अखिल भारतीय महिला शिक्षा सम्मेलन की स्थापना हुई। इसी दौरान बाल विवाह पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए शारदा एक्ट पारित हुआ जिसके फलस्वरूप बालिका शिक्षा के प्रसार में तेजी आयी। 1935 में राजस्थान में वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की गई जिसे बाद में बालिका विश्वविद्यालय की श्रेणी में रखा गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में 30000 महिला शिक्षण संस्थायें थीं। ब्रिटिश काल में विभिन्न आयोगों ने बालिका शिक्षा के अपने अपने सुझाव दिये हैं।

हण्टर आयोग (भारतीय शिक्षा आयोग) बालिका शिक्षा के विकास के लिए निम्न सुझाव दिये –

1. बालिका विद्यालय के लिए अनुदान नियम सरल होने चाहिए।
2. बालिका शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए, साथ में छात्रवृतियॉ भी दी जानी चाहिए।
3. बालिका शिक्षा के लिए छात्रावास की व्यवस्था की जाए।
4. बालिका शिक्षा के लिए महिला शिक्षाकर्मी नियुक्ति की जाए।
5. महिला शिक्षा का पाठयक्रम पुरूश पाठयक्रम से भिन्न होना चाहिए। इनके पाठयक्रम में प्रयोगिक विषयों को शामिल किया जाना चाहिए।

सैडलर आयोग(1917) ने बालिका शिक्षा के लिए निम्न सुझाव दिये–

1. जहॉ पर्दा प्रथा हो वहॉ पर 15–16 आयु वर्ग की लड़कियों के लिए अलग स्कूल खोले जाए।
2. जिस क्षेत्र में बालिका विद्यालय न हो वहॉ सहशिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए।
3. महिला शिक्षा के लिए अलग से स्पेशल बोर्ड आफ वूमेन्स एजूकेशनल की स्थापना की जाए।
4. बालिकाओं के लिए चिकित्सकीय शिक्षा की व्यवस्था की जाए।

हर्टांग समिति (1929) ने स्त्री शिक्षा के लिए निम्न सुझाव दिये :

1. बालिका शिक्षा पर उतना ही ध्यान दिया जाये जिनता कि बालक शिक्षा पर दिया जा रहा है।
2. प्रत्येक प्रान्त में महिला प्रशिक्षित निरीक्षकां की नियुक्ति की जाए।
3. ग्रामीण क्षेत्र में बालिका शिक्षा के लिए अधिक प्राथमिक विद्यालय खोले जाए।
4. बालिका शिक्षा को अनिवार्य तथ निःशुल्क बनाया जाए।
5. बालिकाओं को गृह विज्ञान, स्वास्थ्य, संगीत आदि विषयों की शिक्षा दी जाए।
6. अध्यापिकाओं के प्रशिक्षण की सुविधा दी जाए।

15 अगस्त 1947 को हमको स्वतंत्रता प्राप्त हुई और हमारे देश में लोकतंत्रीय शासन प्रणाली अपनायी गयी। हमारे संविधान में स्त्री–पुरूष के समान अधिकार है।। सभी को शिक्षा का समान अधिकार है। स्वतंत्र भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हेतु सर्वप्रथम 1948 में राधाकृष्णन कमीशन की नियुक्ति की गई। इसका कार्यक्षेत्र केवल उच्च शिक्षा सम्बन्धी सुझाव देने तक था, परन्तु स्त्री शिक्षा के संदर्भ में भी इसके मुख्य सुझाव थे। स्त्रियां के लिए शिक्षा के अधिक अवसर सुलभ कराया जाये, बालिकाओं को उनकी रूचि तथा आवश्यकता अनुसार पाठयक्रम तैयार किया जाये। इसी प्रकार अन्य समितियॉ ने बालिका शिक्षा पर अपने सुझाव दिये।

1958 में बालिका शिक्षा से सम्बन्धित दुर्गावाई देशमुख की अध्यक्षता में "राष्ट्रीय शिक्षण समिति" का गठन किया गया। जिसमें दुर्गावाई समिति या देशमुख समिति कहा जाता है। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट फरवरी 1959 को प्रस्तुत की जो इस प्रकार है –

1. ग्रामीण क्षेत्र में स्त्री षिक्षा के लिए विशेष प्रयास किये जाय।
2. माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए पाठयक्रम में गृह विज्ञान को भी शामिल किया जाए।
3. बालिकाओं के लिए अलग से व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए।
4. किसी भी स्थिति में बालिकाओं की शिक्षा में बहुत अन्तर नहीं होना चाहिए।

1963 'राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद' ने श्री भक्तवत्सलय की अध्यक्षता में ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षा के प्रसार के लिए एक समित का गठन किया गया। इस समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षा के प्रसार के लिए जन सहयोग प्राप्त करने का सुझाव दिया।

केन्द्र सरकार ने 1964 में डॉ0 दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, जिसने अपनी रिपोर्ट 1966 में प्रस्तुत की इस रिपोर्ट में बालिका शिक्षा के लिए निम्न बिन्दु सुझाये गये थे।

1. 6–14 वर्ष के लड़के–लड़कियों के लिए अनिवार्य

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-14, No.-III, Issues-21, YEAR- Sept.-2021

एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए।
2. बलिकाओं के लिए अलग से माध्यमिक स्कूल खोले जाए।
3. माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के लिए छात्रावास तथा यातायात की व्यवस्था की जाए।
4. लड़कियों के लिए अलग से व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए।
5. लड़कियों के लिए अलग से महिला महाविद्यालय की स्थापना की जाए।
6. लड़कियों को विशेष छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जाए।
7. अशिक्षित प्रौढ़ महिलाओं की षिक्षा की व्यवस्था की जाए।

1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने बालिका शिक्षा के संदर्भ में निम्न सुझाव दिये –
1. सम्पूर्ण देश में बालक–बालिकाओं के लिए समान पाठयक्रम लागू हो।
2. बालिका शिक्षा के विकास के लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाए।
3. बालिका विद्यालय में प्रशिक्षित महिला अध्यापकों की नियुक्ति की जाए।
4. कोई बालिका शिक्षा से वंचित न हो इसकी समुचित व्यवस्था की जाए।

1.2 बालिका शिक्षा की समस्यायें :

1. सह शिक्षा के प्रति अभिभावकों का नकारात्मक विचार।
2. बालिका स्कूलों की दयनीय दशा।
3. अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों का अभाव
5. बालिकाओं के लिए यातायात की समस्या।
6. अभिभावकों में बालिका शिक्षा के प्रति उचित दृष्टिकोण का अभाव।
7. शैक्षिक अवसरों की समानता की समस्या।
8. दोशपूर्ण प्रषासन का अभाव।
9. अध्यापिकाओं का अभाव।
10. व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा का अभाव।
11. बाल विवाह की समस्या।

ग्रामीण क्षेत्र – ऐसे अधिवास क्षेत्र जो पिछड़े हैं, यातायात के साधनों, स्वास्थ्य सेवायें तथा शिक्षण संस्थानों की कमी है तथा अधिकतर जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिन्हें ग्रामीण क्षेत्र का दर्जा प्राप्त है।

अभिभावक – प्रस्तुत शोध में अभिभावक से तात्पर्य है जिन पर बालिकाओं के शिक्षा तथा भरण पोषण का दायित्व निर्भर है।

शिक्षित – प्रस्तुत शोध में शिक्षित अभिभावक से तात्पर्य उन अभिभावकों से है जिन्होंने औपचारिक रूप से शिक्षा ग्रहण की है और जिन्हें पढ़ना, लिखना तथा गणना करने का ज्ञान है।

अशिक्षित – प्रस्तुत शोध में अशिक्षित अभिभावकों से तात्पर्य ऐसे अभिभावकों से है जिन्होंने औपचारिक रूप से शिक्षा ग्रहण नहीं की है।

मनोविज्ञानिकों ने 'अभिवृत्ति' शब्द की परिभाषा अपने अपने ढ़ंग से दी है –

एस0सी0 लुंग के शब्दों में – "अभिवृत्ति से तात्पर्य किसी वस्तु, घटना, व्यक्ति के प्रति अनुकूल या प्रतिकूल दृष्टिकोण से है।"

गुड के अनुसार – "अभिवृत्ति या मनोवृत्ति किसी परिस्थिति, व्यक्ति या वस्तु के प्रति किसी विशेष ढ़ग से किसी विशेष सघनता से प्रतिक्रिया करने की तत्परता है।"

थर्सटन एवं चेव के अनुसार – "अभिवृत्ति किसी विशिष्टि प्रकरण के प्रति व्यक्ति की प्रवृत्तियों व भावनाओं, पूर्वाग्रहों अथवा पक्षपातों, पूर्व निर्मित अभिप्रायों, विचारों, भय, दवाबों तथा मान्यताओं का कुल योग है।"

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1 कपिल, डॉ0 एच0के0 (भू0पू0 रीडर एवं अध्यक्ष) मनोविज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान विभाग, राजा बलवन्त सिंह पी0जी0 कालेज, आगरा। सांख्यिकी के मूल तत्व (सामाजिक विज्ञानों में) प्रकाशक–विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा पंचम संस्करण, 1993.

2 कपिल, डॉ0 एच0के0 मनोविज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान विभाग, राजा बलवन्त सिंह पी0जी0 कालेज, आगरा। अनुसंधान विधियॉ (व्यवहारपरक विज्ञानों में) प्रकाशक – हर प्रसाद भार्गव, कचहरी घाट आगरा, 8वां संस्करण, 1994, 95.

3 गैरिट, हैनरी ई0 मनोविज्ञान विभाग कोलम्बिया विश्वविद्यालय शिक्षा एवं मनोविज्ञान में सांख्यिकी कल्याणी पब्लिशर्स, नई दिल्ली ग्यारहवां एडीसन रिप्रिन्टेड, 1996.

4 पाठक, डॉ0 पी0डी0 आई0इ0आई0 टीचर्स ट्रेनिंग कालेज, दयालबाग, आगरा सांख्यिकी के मूल तत्व प्रकाशक – विनोद पुस्तक मन्दिर आगरा, तीसवां संशोधित संस्करण, 1996.

5 बुच, एम0बी0 एस्टडी आफ रिसर्च इन एजूकेशन सर्व भाग 1, 2 तथा 3 संस्करण, 1972–73

6 मोहन, प्रो0 मदन तथा सरस्वत, डॉ0 मालती शिक्षा विभाग, सी0एम0डी0 डिग्री कालेज, इलाहाबाद। भारतीय शिक्षा का विकास प्रकाशक– कैलाश प्रकाशन, कल्याणी।

7. राय, पारसनाथ तथा भटनागर राजा बलवन्त सिंह पी0जी0 कॉलेज, आगरा अनुसंधान परिचय प्रकाशक – लक्ष्मी नारायण अग्रवाल आगरा, सप्तम संस्करण, 1996.

8. सारस्वत, डॉ0 मालती शिक्षा विभाग, सी0एम0डी0 डिग्री कालेज, इलाहाबाद। शिक्षा मनोविज्ञान की रूपरेखा प्रकाशक– आलोक प्रकाशन, इलाहाबाद, 1993.

*****